वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण नियम

01 सितंबर, 2001 से वरिष्ठ नागरिकों को मांग करने पर यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से रियायत दी जाएगी, वर्तमान की तरह स्वत: रियायत नहीं मिलेगी। आरक्षित टिकटों के मामले में रियायत के लिए मांग आरक्षण मांगपत्र में की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को रियायती टिकट दिए जाने पर, यात्रा के दौरान उन्हें अपनी आयु अथवा जन्म तिथि संबंधी कोई दस्तावेज दिखाना होगा, यह दस्तावेज किसी सरकारी संस्थान/एजेंसी/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। परिचय-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, किसी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी कोई प्रमाण-पत्र अथवा अन्य कोई विश्वसनीय या मान्यताप्राप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यात्रा के दौरान रेलवे कर्मचारी की मांग पर आयु का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत लेने हेतु न्यूनतम आयु 58 वर्ष है और रियायत का तत्व केवल मूल किराए में 50 प्रतिशत है.

पुरूष वरिष्ठ नागरिकों के मामले में रियायत लेने हेतु न्यूनतम आयु 60 वर्ष है और रियायत का तत्व केवल मूल किराए में 40 प्रतिशत है.

दोनों ही मामलों में अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा.